न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 155/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
पेमाराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवाल निवासी पोलास उप तहसील सांजू जिला नागौर।		उप तहसीलदार सांजू जिला नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री अशोक कुमार वैष्णव अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक: 6-3-20

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 112/2017 सरकार बनाम पेमाराम में निर्णय दिनांक 10.10.17 के तहत मौजा पोलास के खसरा नं. 166 गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.05.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.06.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उप तहसीलदार सांजू के प्रकरण सं. 112/17 सरकार बनाम पेमाराम के फर्द अहकाम दिनांक 04.09.17 से 10.10.17 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 10.10.17 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस दिनांक 04.09.17 की फोटोप्रति, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र डेगाना की प्रविष्टी की फोटोप्रति तथा विद्युत बिल की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट अपनी नौकरी व व्यवसाय के सिलसिले मे नागौर जिले के बाहर रहता है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की सूचना नही थी एवं न ही कोई अपीलांट से नोटिस की तामील ही हुई थी, अभी कुछ दिनो पूर्व अधीनस्थ न्यायालय की ओर से अपीलांट के मकान तोडने हेतु कुछ लोग गांव मे आये व अपीलांट के घर गये। तब अपीलांट की पत्नी ने फोन पर सूचना दी जिस पर अपीलांट अवकाश लेकर गांव पोलास आया, पटवारी से मिला तथा उप तहसील सांजू कार्यालय मे जाकर नकल हेतु आवेदन दिया। जिस पर दिनांक 22.5.18 को नकल मिलने पर नागौर आकर वकील नियुक्त कर यह अपील दिनांक 25.5.18 को प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 22.5.18 से पूर्व नही थी। जिससे दिनांक 10.10.17 से दिनांक 22.5.18 तक समय शमन करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्यायोचित है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील गलत, गैर कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की गैर मौजूदगी मे बिना अपीलांट को सुने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना, मात्र प्रिन्टेट कागज पर खाली कॉलम भरते हुए निर्णय जैर अपील पारित करने मे भारी भूल की है। यह प्राकृतिक मूलभूत अधिकार व न्याय का सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति की पीठ पीछे कोई कार्यवाही नही करनी चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसा निर्णय कभी भी अपास्त किया जा

अपर कलक्टर, नागौर

सकता है। इस प्रकरण मे न तो अपीलांट को कोई नोटिस जारी हुआ न ही तामील हुई है और मात्र नोटिस की पुश्त पर तथाकथित हरिराम के हस्ताक्षर है परंतु तामील कुनिन्दा ने शपथ पूर्वक यह रिपोर्ट नही दी है कि अमुक दिन, समय, तामील लेकर गैर सायल के घर गया। वहां पर अपीलांट नही मिला, घर खुला था, उसमे उसकी पत्नी या पुत्र था, उनकी आयु क्या थी, क्या रिश्ता था, पूछ कर उसे नोटिस देकर हस्ताक्षर करवा कर सारे तथ्यो सहित शपथ पूर्वक रिपोर्ट करता तो ही पर्याप्त विधि सम्मत तामील मानी जाती। परंतु ऐसी कोई तामील पत्रावली पर उपलब्ध नही है ऐसी सूरत मे अपीलांट की पर्याप्त तामील नही मानी जा सकती है। जिससे अपीलांट जवाबदेही व सुनवाई से वंचित रहा है। ऐसी स्थिति मे निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट का मकान गांव पोलास मे मेघवालो की बस्ती के बीच मे स्थित है, अपीलांट के मकान के चारो ओर पक्के मकानात बने है। जिसमे खसरा नं. 160 मे मदाराम लोहार, खसरा नं. 165 मे धूकलराम मोतीराम के मकान, खसरा नं. 163 मे कनी, जगा, सुभाष व नेनी के मकान है, खसरा नं. 159 मे जगदीश, भगवानाराम के मकान तथा खसरा नं. 164 मे चेनाराम, रामेश्वरी व रामेश्वर के मकानात है अर्थात अपीलांट के मकान के चारो ओर पक्के मकान स्थित है तथा मकानात भी गत 50 वर्षो से पक्के बने हुए है तथा पूर्व मे कच्चे झोपे इसी जगह बने हुए थे, ऐसी सूरत मे इस भूमि को गलत रूप से गोचर अंकित कर बेदखली के आदेश गलत ढंग से पारित किये है। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे अपीलांट की गलत रूप से उपस्थिति अंकित की है। जबकि आदेशिका दिनांक 10.10.17 मे स्पष्ट रूप से अनुपस्थिति अंकित है, ऐसी सूरत मे यह निर्णय अपीलांट/गेर सायल को जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने से वंचित रखते हुए पारित किया। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–पटवारी हल्का ने बिना मौका देखे, बिना मौके पर गये अपनी मर्जी से गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की, तथाकथित मिथ्या रिपोर्ट के साथ न तो मौका रिपोर्ट ही है तथा न ही पटवारी ने निर्णय से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय मे शपथ पूर्वक बयान ही दिया है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने मौका देखने का ही कष्ट किया है। यदि मौके पर जाकर अपने स्तर पर मौका देखते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती एवं कभी भी ऐसा गलत आदेश पारित नही किया जा सकता था। न्याय हित मे पीओ साहब को पटवारी के शपथपूर्वक बयान लेकर उससे अपीलांट को जिरह का अवसर देते, अपीलांट को सुनते तो उसका जवाब व साक्ष्य लेते, मौका देखते एवं आस पास के लोगो को नये कब्जे के बारे मे जांच करते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती एवं अपीलांट के साथ किसी प्रकार का अन्याय नही होता जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VI)–अपीलांट अपने बडेरो के समय से जन्म से आज तक 50 वर्षो तक इसी गांव मे इसी जगह निवास करता आया है तथा गांव पोलास मे तो क्या राजस्थान मे या नागौर जिले मे इस जगह के अलावा एक इंच भी भूमि अपीलांट के परिवार के निवास के लिये नही है। जिससे अपीलांट को निवास के लिये भूमि उपलब्ध कराने का प्रथम दायित्व सरकार व ग्राम पंचायत का बनता है। ऐसी सूरत मे अपीलांट को बेदखल कर घर विहीन कर बर्बाद करने की मंशा न्याय की नही है। ऐसी सूरत मे अपीलांट को बेदखल करना न्याय हित मे उचित नही है।

{2}(VII)–अपीलांट पीढियो से इसी गांव का निवासी है। इस गांव मे इसके अलावा कोई मकान, झोपडा या बाडा नही है। केवल मात्र यही मकान है। यहां बाडा नही है। पटवारी रिपोर्ट गलत है। मौका देखे बिना ही रिपोर्ट की है तथा 50 वर्षो से पक्का मकान बना हुआ है। जिसे बनाने मे अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष मे है। यदि इस आवास को तोड दिया या गिरा दिया या बेदखल कर दिया तो अपीलांट को अपार क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के मुआवजा से संभव नही होगी तथा सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे है। अपील के निर्णय तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.10.17 की पालना स्थगित रखी जाना पूर्ण रूप से न्यायोचित है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा पोलास में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में

अपर कलक्टर, नागौर

आराजी भूमि वाके पोलास के खसरा नंबर 166 गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार की भूमियो का आंवटन/नियमन प्रतिबंधित भी है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर